राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग

क्रमांक : प. 10(90)कार्मिक/ख–3/सु./80–I जयपुर,दिनांक **20 DEC 2012**

::परिपत्र ::

शासन सचिवालय प्रशासन का मुख्य स्थान होने के कारण परिसर में परिचय पत्र/प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था लागू की हुई हैं। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत परिसर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचय पत्र/ प्रवेश पत्र/ वाहन प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं, साथ ही सचिवालय में आने वाले आगन्तुकों को स्वागत कक्ष द्वारा दैनिक प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं।

शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (जिनका वेतन सचिवालय परिसर में विभाग के स्वीकृत स्थाई पदों के विरूद्ध परिसर स्थित कार्यालय से आहरित किया जाता हैं) के एक निजी चार पहिया वाहन को नियमानुसार (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस एवं परिचय पत्र/प्रवेश पत्र की छाया प्रति संलग्न कर) विभाग के सक्षम अधिकारी से अग्रेषित कर भिजवाये जाने पर वर्ष 2013 के लिये मान्य वाहन स्टीकर इस विभाग द्वारा 1 जनवरी 2013 से जारी किये जायेंगे।

अतः कृपया सचिवालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों से निवेदन हैं कि इस विभाग द्वारा जारी चार पहिया वाहन आवेदन प्रपत्र (परिपत्र के पृष्ठ भाग में मुद्रित) को सक्षम अधिकारी से अग्रेषित करवाकर ,चाहे गये प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर 2013 के लिये मान्य वाहन प्रवेश पत्र इस विभाग से प्राप्त करने का श्रम करें।

(ओम प्रकाश सारस्वत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण /संसदीय सचिवगण ।
3. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा एवं विजिलेन्स ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, शासन सचिवालय ।
6. समस्त शासन उप सचिव ।
7. उप निदेशक,सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
8. नोटिस बोर्ड ।

शासन उप सचिव

शासन सचिवालय परिसर में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के राजकीय/निजी चार पहिया वाहन प्रवेश पत्र हेतु

<u>आवेदन पत्र</u>

1	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग का नाम	
4	चार पहिया वाहन का प्रकार एवं वाहन नम्बर एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं दिनांक (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	
5	वाहन चालक का लाइसेंस क्रमांक, दिनांक एवं वैधता अवधि (छाया प्रति संलग्न करें)।	
6	दूरभाष नम्बर : कार्यालय मोबाईल	
7	निवेदन हैं कि:– 1. उक्त वाहन मेरे स्वयं के नाम से पंजीकृत हैं। 2. सचिवालय परिसर में चार पहिया वाहन के प्रवेश–पत्र का उपयोग मेरे/मेरे द्वारा अधिकृत निजी वाहन चालक द्वारा ही किया जावेगा एवं निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क किया जावेगा। 3. निजी वाहन चालक के चरित्र एवं सद्व्यवहार की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और वाहन चालक का सचिवालय के लिये निजी प्रवेश–पत्र प्राप्त कर लिया जावेगा। 4. आवेदन में मांगे गये सभी दस्तावेजों की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। (सत्यापित प्रति) अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नाम: पदनाम:	

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी शासन सचिवालय परिसर में ही पदस्थापित हैं एवं इनका वेतन स्थाई पद के विरूद्ध शासन सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय से आहरित किया जा रहा हैं।

अग्रेषित अधिकारी के हस्ताक्षर
मय पदनाम की मोहर